बरेली में बुलडोजर का बड़ा एक्शन

डॉ. नफीस का 5 करोड़ का बारात घर जमींदोज, 3 बुलडोजर लगे

बरेली. 4 अक्टूबर. बरेली में सांप्रदायिक बवाल के बाद अब प्रशासनिक शिकंजा तेजी से कस रहा है. तौकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस की संपत्ति पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया.

26 सितंबर को हुए बरेली बवाल के बाद अब प्रशासन ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है. शनिवार को नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने किला क्षेत्र के जखीरा में स्थित डॉ. नफीस के रजा पैलेस बारातघर पर बुलडोजर चला दिया. यह कार्रवाई तीन बुलडोजरों की मदद से की गई. मौके पर भारी पुलिस बल, पीएसी की तैनाती रही. डॉ. नफीस को पहले ही उनके बेटे समेत गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोप है कि उन्होंने लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया और पुलिस अफसर को धमकाया था. इस बारातघर की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो लगभग 10 हजार वर्गफुट में फैला था. इसमें 10 कमरे थे और इसे अवैध रूप से बनाया गया था. इससे पहले सुबह-सुबह नगर निगम की टीम ने सैलानी मार्केट में भी बड़ी कार्रवाई की.

> टीन शेड और अस्थायी निर्माणों को हटाया गया. नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने साफ कहा है कि जहां भी अतिक्रमण मिलेगा, वहां बुलडोजर चलेगा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. 26 सितंबर को जुमा नमाज के बाद दो मस्जिदों से निकली भीड़ ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लेकर इस्लामिया ग्राउंड की ओर जाने की कोशिश की थी. पुलिस ने रोका तो पथराव शुरू हो गया. इसके बाद शहर के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई.

गवई बोले- भारत में बुलडोजर नहीं, कानून का राज चलता है

मॉरीशस/नई दिल्ली 4 अक्टूबर. देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बार फिर 'बुलडोजर न्याय' की कड़ी आलोचना की है.

इस बार उन्होंने भारत नहीं, बल्कि मॉरीशस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मंच से कहा भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं. ये 10 दिनों में उनका दूसरा ऐसा बयान है, जो सरकारों को स्पष्ट संदेश देता है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शुक्रवार को मॉरीशस में आयोजित 'सर मौरिस रॉल्ट स्मृति व्याख्यान 2025' में 'बुलडोजर एक्शन' को लेकर दो टूक बात कही. उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं, बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि कार्यपालिका न तो जज बन सकती है, न जूरी, और न ही जल्लाद. कानून के दायरे से बाहर जाकर की गई कोई भी कार्रवाई, चाहे वह बुलडोजर चलाना ही क्यों न हो, संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. गवई ने अपने भाषण में कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में कानून का शासन ही सुशासन और सामाजिक प्रगति का मानक होता है. बुलडोजर संस्कृति इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है.

बैंडमेट का आरोप जुबीन गर्ग को जहर देकर मारा गया

▶ जुबीन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट परिवार को सौंपी

नई दिल्ली/गुवाहाटी, 4 अक्टूबर. मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत की गुत्थी अब और उलझती जा रही है. सीआईडी द्वारा उनकी दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट शनिवार को पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग को सौंप दी गई.

इस बीच उनके बैंडमेट ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि जुबीन को सिंगापुर में जानबूझकर जहर दिया गया और यह एक सुनियोजित साजिश थी. मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. असम पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने शनिवार को जुबीन की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उनकी पत्नी गरिमा को सौंप दी. यह रिपोर्ट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 23 सितंबर को किए गए पोस्टमॉर्टम के बाद तैयार की गई थी. इससे पहले सिंगापुर में हुई पहली रिपोर्ट गरिमा को गुरुवार को दी गई थी. वहीं, इस केस में गिरफ्तार किए गए जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने पुलिस रिमांड के दौरान सनसनीखेज दावा किया है कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और कार्यक्रम आयोजक श्यामकानु महंत ने उन्हें सिंगापुर में जहर दिया था, जिसके बाद समुद्र में तैरते वक्त उनकी मौत हो गई.

बिहार में विकास की हो रही है बरसात

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव में की सहभागिता

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिहार प्रवास के दौरान पटना में आयोजित मखाना महोत्सव-2025 में सहभागिता की.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी मखाना उत्पादन का केंद्र बन चुका है. शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए मखाना बोर्ड के गठन के साथ ही केंद्र और राज्य की नीतीश सरकार के अनेकानेक कार्यों के माध्यम से बिहार में विकास की बरसात हो रही है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में युवाओं को, विशेषकर बिहार के युवाओं को 64 हजार करोड़ रुपये की ऐतिहासिक सौगात प्रदान की गई है. शिवराज सिंह ने कहा कि बिहार में बदरा बरस रहा है और विकास की बरसात भी हो रही है, आज विकसित भारत का सूरज बिहार के भाग्य पर चमक रहा है.

> केंद्रीय मंत्री चौहान ने किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया और कहा कि मसूर, उड़द और अरहर किसान जितना भी उत्पादन करेंगे, केंद्र सरकार उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा खरीदेगी. उन्होंने मखाने को गरीबों के लिए अद्भुत वरदान बताते हुए कहा कि बिहार आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी मखाना उत्पादन का केंद्र बन चुका है. पहले जहां मखाना केवल 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता था.

गाजा में शांति की उम्मीद इजरायल और हमास ट्रंप प्लान पर सहमत

गाजा, 4 अक्टूबर. इजरायल-हमास युद्ध पर निर्णायक मोड़ आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर हमास ने सहमति जताई है और इजरायल ने सैन्य हमले रोकने का आदेश दिया है.

हालांकि, गाजा में अब भी हमले जारी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की पहल का स्वागत किया है. यह पहल युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. गाजा पट्टी में पिछले दो वर्षों से चल रही भीषण जंग अब निर्णायक मोड़ पर है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को लेकर इजरायल और हमास दोनों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने शुक्रवार को इजरायल से बमबारी तुरंत रोकने और हमास से बंधकों की रिहाई की अपील की. इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की कि गाजा सिटी पर कब्जे का अभियान रोका जा रहा है और ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू किया जाएगा. हमास ने भी कहा है कि वह सभी बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत को तैयार है और गाजा की सत्ता किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने पर विचार किया जा सकता है. हालांकि अभी कई मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है. इस बीच गाजा में हमले अब भी जारी हैं, जिससे पूरी शांति अभी भी अधूरी प्रतीत होती है. डोनाल्ड ट्रंप की पहल रंग लाई है.

गाजा पर बमबारी बंद करे इजरायल : ट्रम्प

वाशिंगटन. ट्रम्प ने इजरायल से गाजा पर तत्काल बमबारी रोकने का कहा है. ट्रम्प ने हमास के इजरायल के बंधकों को रिहा करने पर राजी होने के बाद इजरायल से तत्काल गाजा पर हमला रोकने को कहा. इससे पहले ट्रम्प ने हमास को गाजा संघर्ष को खत्म करने और एन्क्लेव का पुनर्निर्माण करने के लिये उनकी 20 सूत्रीय योजना को मानने को कहा था. साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर वह बात नहीं मानता है, तो हमास के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसके बाद हमास ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों को अपना जवाब दिया.समूह ने कहा कि वह कार्यान्वयन विवरण पर मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल बातचीत शुरू करने के लिये तैयार है.

ब्रिटिश पीएम 8 को भारत दौरे पर आएंगे

नई दिल्ली 04 अक्टूबर. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मंत्री सर कीर स्टारमर आठ अक्टूबर को भारत की दो दिन की यात्रा पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे.

मिडास हॉस्पिटल को वर्ल्ड एंडोस्कोपी ऑर्गनाइजेशन ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मान्यता मिली

नवभारत न्यूज

जबलपूर 4 अक्टूबर, नागपुर के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में से एक, वर्धा रोड, नागपुर स्थित मिडास हॉस्पिटल को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि उसे वर्ल्ड एंडोस्कोपी ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूईओ) ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मान्यता मिली है।

यह मान्यता अमेरिका के प्रसिद्ध एंडोस्कोपी विशेषज्ञ और डब्ल्यूईओ 卐आउटरीच कमेटी卐 के चेयरमैन डॉ. कुलविंदर दुआ द्वारा दी जाएगी। इस अवसर पर मिडास हॉस्पिटल, वर्धा रोड, नागपुर में एक छोटा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रिबन काटने के साथ प्रमाणपत्र और प्लेक का अनावरण किया गया। वर्ल्ड एंडोस्कोपी ऑर्गनाइजेशन ट्रेनिंग सेंटर की यह प्रतिष्ठित मान्यता डॉ. कुलविंदर दुआ ने मिडास हॉस्पिटल के डायरेक्टर, डॉ. श्रीकांत मुकेवार और डॉ. सौरभ मुकेवार को प्रदान की। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉ. कुलविंदर दुआ, अमेरिका के विस्कॉन्सिन मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी प्रोफेसर और प्रसिद्ध एंडोस्कोपी विशेषज्ञ, एंडोस्कोपी से जुड़ी नवीनतम तकनीक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। वर्धा रोड, नागपुर स्थित मिडास हॉस्पिटल अब अंतरराष्ट्रीय डॉक्टरों को एंडोस्कोपी में प्रशिक्षण देगा, जिसमें लिवर पर होने वाली अत्याधुनिक एंडोस्कोपी प्रक्रियाओं का लाइव डेमो भी शामिल होगा।

अब सीमा पर तैनात होंगी एके-630

नई दिल्ली. पाकिस्तान सीमा से सटे आबादी वाले इलाकों और आस्था के केंद्रों को सुरक्षा देने के इरादे से मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारतीय सेना ने एक स्वदेशी कंपनी से छह एके-630 एमएम बंदूकें खरीदने की तैयारी की है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले सबक पर काम करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए टेंडर जारी किया. पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब में नागरिक ठिकानों और धार्मिक इमारतों पर सीधे हमले किए थे. आगे ऐसा न होने देने के लिए सेना पहले से तैयारी कर लेना चाहती है. सेना वायु रक्षा ने एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ छह एके630 एयर डिफेंस गन सिस्टम की खरीद के लिए एक आरएफपी जारी किया है.

मॉयल ने सितंबर तक हासिल किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पाद

भोपाल, 4 अक्टूबर. देश की अग्रणी मैंगनीज उत्पादक कंपनी मॉयल लिमिटेड ने सितंबर 2025 तक का अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है.

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 10.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है. कंपनी ने बताया कि सितंबर 2025 और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में प्रभावशाली परिचालन प्रदर्शन किया गया, जिससे उत्पादन और बिक्री दोनों में मजबूती आई है. सितंबर 2024 की तुलना में सितंबर 2025 में उत्पादन 1.52 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.8 फीसदी अधिक है. इसके साथ ही अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग भी उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 5,314 मीटर तक पहुंच गई, जो 46 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है. यह मॉयल के संसाधन विस्तार पर लगातार ध्यान देने की प्रतिबद्धता को दिखाता है. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल उत्पादन 4.42 लाख टन दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 10.3 फीसदी अधिक है. वहीं बिक्री में भी उल्लेखनीय 18.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 3.53 लाख टन तक पहुंच गई. दूसरी तिमाही में अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग 21,035 मीटर तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि है. प्रबंध निदेशक अजीत सक्सेना ने कहा प्रमुख मानकों में मॉयल की वृद्धि यह दर्शाती है कि कंपनी अपनी परिचालन उत्कृष्टता को लगातार बेहतर कर रही है.

आज का इतिहास

1858 जापान ने अनिच्छा से एमिटी वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर किए.

1862 अमेरिकन सिविल वॉर-कॉफेडरेट जासूस बेले बॉयड को उसके प्रेमी द्वारा उसके बदले जाने के बाद यूनियन सैनिकों ने गिरफ्तारी

1899 न्यूयॉर्क में पहली मोटरसाइकिल रेस का आयोजन हुआ

1899 पहले हेग कन्वेंशन, पहले औपचारिक बयानों के बीच अंतरराष्ट्रीय कानून में युद्ध और युद्ध अपराधों के कानूनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

1947 दुनिया का पहला सामान्य-उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकडिजिटल कंप्यूटर बना.

लालू-राबड़ी के घर में जमकर हंगामा

▶ सतीश कुमार के खिलाफ फूटा लोगों का जनाक्रोश

पटना, 4 अक्टूबर. बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती उभर कर आई है. पटना में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर खुदुमपुर क्षेत्र के लोगों ने जमकर विरोध किया.

चोर विधायक नहीं चाहिए के नारों के बीच सतीश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि उन्हें दोबारा टिकट न दिया जाए. बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आरजेडी एक और मुश्किल में घिर गई है. शनिवार को पटना स्थित लालू यादव और राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर खुदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया.

> बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में एक अप्रत्याशित विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा. शनिवार दोपहर करीब 2 बजे, खुदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों लोग लालू यादव और राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पहुंच गए और मौजूदा विधायक सतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करने लगे. प्रदर्शन कारियों ने 'चोर विधायक नहीं चाहिए' और 'सतीश कुमार हटाओ, विकास लाओ' जैसे नारे लगाए, जिससे अफरा-तफरी मच गई. उनका आरोप था कि सतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया.

मौसम की मार | **स्कूल बंद, मंदिरों तक पहुंच मुश्किल, प्रशासन अलर्ट पर**

देशभर में फिर से बारिश का कहर जारी

शिमला/अमृतसर/वाराणसी/पटना, 4 अक्टूबर. उत्तर भारत के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है.

वाराणसी, देवरिया और पटना जैसे शहर जलप्रलय जैसे हालात से जूझ रहे हैं. कहीं सड़कें डूबी हैं, कहीं दुकानें, तो कहीं जिंदगी. वहि हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. 4 से 9 अक्टूबर तक भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी के बीच पंजाब में भी प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने को कहा है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि प्रशासन को राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाने पड़ रहे हैं. उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. वाराणसी, देवरिया और पटना जैसे प्रमुख शहरों में जलजमाव, पेड़ गिरने गिर गया.

> देवरिया जिले में भी पिछले 24 घंटों से बारिश जारी है. कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं. सलेमपुर तहसील के भरौली गांव में 20 वर्षीय युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई है. प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वे घरों के भीतर रहें और खुले स्थानों से बचें. भारी वर्षा से धान की फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं:- संतोष कुमार साकेत पिता शंकर प्रसाद साकेत उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम मझौली पाठ तहसील सरई जिला सिंगरौली (म.प्र.) का हूँ मेरा शपथ पत्र कथन निम्न है:- मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड एवं अन्य रिकार्ड में मेरा नाम संतोष कुमार पिता शंकर प्रसाद साकेत दर्ज है। कही पर मेरा नाम संतोष कुमार साकेत पिता शंकर प्रसाद साकेत दर्ज है। उक्त दोनों नाम संतोष कुमार साकेत पिता शंकर प्रसाद साकेत एवं संतोष कुमार पिता शंकर प्रसाद साकेत एक ही व्यक्ति यानी मुझ शपथकर्ता के ही नाम हैं।

शपथकर्ता

नाम सुधार सूचना

मै अखिलेश कुमार उम्र 40 वार्ष पिता श्री प्रेमलाल निवासी ग्राम पोस्ट रामस्थान तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि आयुष मार्कण्डेय मेरा पुत्र है जिसके शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, समग्र आई एवं अन्य दस्तावेजों में नाम आयुष मार्कण्डेय लिखा है जबकि उसके आधार कार्ड में कौटिल्य मार्कण्डेय लिखा है. आयुष मार्कण्डेय और कौटिल्य मार्कण्डेय दोनों नाम एक ही व्यक्ति के यानी मेरा ही पुत्र है. अतः मै मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज नाम कौटिल्य मार्कण्डेय के स्थान पर आयुष मार्कण्डेय करवाना चाहता हूं. अगर उक्त नाम के संबंध में कोई आपत्ति होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी मुझ शपथकर्ता की होगी.

शपथकर्ता : अखिलेश कुमार

नाम सुधार सूचना

मै शीतल प्रसाद उम्र 40 वार्ष पिता श्री सुन्दरलाल निवासी ग्राम पोस्ट मुडहा तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि सिद्धार्थ वर्मा मेरा पुत्र है जिसके शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, समग्र आई एवं अन्य दस्तावेजों में नाम सिद्धार्थ वर्मा लिखा है जबकि उसके आधार कार्ड में शाहिल वर्मा लिखा है. सिद्धार्थ वर्मा और शाहिल वर्मा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के यानी मेरा ही पुत्र है. अतः मै मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज नाम शाहिल वर्मा के स्थान पर सिद्धार्थ वर्मा करवाना चाहता हूं. अगर उक्त नाम के संबंध में कोई आपत्ति होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी मुझ शपथकर्ता की होगी.

शपथकर्ता : शीतल प्रसाद

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर
जिला -सतना (म.प्र.)

क्रमांक / 446/ अनु.अधि. / 2025
सतना दिनांक 26/09/2025

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम सतना, तहसील रघुराजनगर की आ.नं.144/1 का रकबा 0.2720 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन आबादी कैफियत में नजूल दर्ज रिकार्ड है. उक्त आराजी का रकबा 0.038 हे. श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला सतना द्वारा कार्यालय निर्माण कार्य हेतु आवंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.
म.प्र.नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 142 के अनुसरण में यह उद्घोषणा जारी की जाती है कि उपरोक्त आवंटन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था का दावा, आपत्ति अथवा सुझाव हो तो व दिनांक 10/10/2025 तक अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना के न्यायालय के कक्ष क्रमांक जी-04 कलेक्ट्रेट कार्यालय सतना में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं.
निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत दावे, आपत्ति अथवा सुझाव मान्य नहीं होंगे.
यह उद्घोषणा आज दिनांक 26/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

अनुविभागीय अधिकारी
रघुराजनगर (नगरीय),जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर
जिला -सतना (म.प्र.)

क्रमांक / 445/ अनु.अधि. / 2025
सतना दिनांक 26/09/2025

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम बम्हनगवां, तहसील रघुराजनगर की आ.नं.234/1/1 का रकबा 0.7840 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन नजूल भूमि दर्ज रिकार्ड है. उक्त आराजी का रकबा 0.055 हे. श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला सतना द्वारा कार्यालय निर्माण कार्य हेतु आवंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.
म.प्र.नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 142 के अनुसरण में यह उद्घोषणा जारी की जाती है कि उपरोक्त आवंटन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था का दावा, आपत्ति अथवा सुझाव हो तो व दिनांक 10/10/2025 तक अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना के न्यायालय के कक्ष क्रमांक जी-04 कलेक्ट्रेट कार्यालय सतना में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं.
निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत दावे, आपत्ति अथवा सुझाव मान्य नहीं होंगे.
यह उद्घोषणा आज दिनांक 26/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

अनुविभागीय अधिकारी
रघुराजनगर (नगरीय),जिला सतना (म.प्र.)

विधिक नोटिस म्यादी 30 दिवस

नोटिस प्रेषक:- सी.के. सिंह चंदेल एडवोकेट, जिला न्यायालय वैढ़न, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
वास्ते:- श्री अंकित प्रसाद दुबे पिता श्री इन्द्र प्रसाद द्विवेदी सेवा प्रदाता-सिंगरौली, निवासी ग्राम-गनियारी, तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
नोटिस प्रेषित:- श्री अशोक सिंह परिहार उप पंजीयक सिंगरौली, पोस्ट-वैढ़न, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
महोदय,

मैं सी.के. सिंह एडवोकेट जिला न्यायालय वैढ़न अपने पक्षकार श्री अंकित प्रसाद दुबे पिता श्री इन्द्र प्रसाद द्विवेदी सेवा प्रदाता सिंगरौली के विशेष निर्देश एवं हिदायत पर उनकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त होकर बताये गये तथ्यों एवं दिखाये गये अभिलेखों के आधार पर आप नोटिस प्रेषित को निम्नांकित नोटिस प्रेषित करता हूँ:- 01. यह कि आप उप पंजीयन कार्यालय सिंगरौली में उप पंजीयक के पद पर पदस्थ होकर प्रस्तुत दस्तावेजों के पंजीयन का काम करते हैं, जबकि मेरा पक्षकार जिला पंजीयन कार्यालय से सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत होकर आपके कार्यालय से दस्तावेजों का पंजीयन करवाता है यह कार्य वह विगत 10 वर्षों से करता चला आ रहा है। 02. यह कि विगत कुछ माह से आपका व्यक्तिगत लगाव एक विशेष जेवा प्रदाता सुनील कुमार सिंह चौहान से हो चुका है, तथा उनके द्वारा प्रस्तुत वैध एवं अवैध दस्तावेजों का आपके द्वारा पंजीयन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जबकि अन्य सेवा प्रदाता खासकर मेरे पक्षकार को अनावश्यक रूप से झूठा आरोप लगाकर परेशान किया जाता है, तथा मेरे पक्षकार द्वारा जो कोई भी दस्तावेज पंजीयन बावत् आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें आप कभी स्टाम्प कमी होने का तो कभी पंजीयन की गाईड लाईन का पालन न करने का आरोप लगाकर अकारण दस्तावेज लौटा दिया जाता है. आपके इस कृत्य से मेरा पक्षकार परेशान एवं हैरान हो चुका है।03.यह कि आप अपने कृत्य से इतना ही नहीं रूके बल्कि बिना आधार एवं अधिकार के आपने अपने कार्यालयीन पत्र क्र. 47/उ.पं./2025 को खनिज अधिकारी सिंगरौली एवं पत्र क्र. 15/उ.प./2025 दिनांक 09.06.2025 स्टेशन हेड महान एनर्जेन लिमिटेड बंधौरा तथा नगर पालिक निगम सिंगरौली के साथ-साथ कई अन्य शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों को. आपने यह लिखित एवं मौखिक आदेश प्रेषित कर दिया कि आप लोग सेवा प्रदाता अंकित प्रसाद दुबे से किसी प्रकार का सेवा प्रदाता का कार्य न लिया जाय, साथ ही आप अपने व्यक्तिगत पहचान रखने वाले लोगों को भी यह आगाह करते रहते हैं कि वह सेवा प्रदाता अंकित दुबे से कोई सेवा न ले, अन्यथा वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके द्वारा उपरोक्त संस्थानों को यह लिखित रूप से आदेशित किया है कि अंकित दुबे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में हेर-फेर कर शासन के राजस्व की हानि की जाती है एवं अधिकारियों को गुमराह करके दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं, जबकि आप पंजीयन अधिकारी के पद पर खुद पदस्थ हैं, वह पंजीयन आपके द्वारा ही किया जाता है तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि आपके कार्यालय में किसी प्रकार की दस्तावेजों की हेरा-फेरी न हो यदि ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार एक मात्र आप हैं। लेकिन आप मेरे पक्षकार पर झूठा लांछन लगाकर उसके धंधे एवं ख्याती को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास किया जा रहा है, जबकि आपको इस तरह का मेरे पक्षकार पर वेबुनियाद आरोप लगाने का कोई विधिक एवं नैतिक आधार एवं अधिकार नहीं है, और ऐसा करके आपने मेरे पक्षकार को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। 04. यह कि आप पंजीयन अधिकारी हैं जिससे मेरे पक्षकार के खिलाफ आपके द्वारा कई संस्थानों एवं विभागों में पत्र जारी कर मेरे पक्षकार से सेवा न लेने का लिखित एवं मौखिक निर्देश जारी किया है, आपके इस कृत्य से मेरे पक्षकार का सेवा प्रदाता का धंधा एवं व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जबकि आपको मेरे पक्षकार के खिलाफ किसी भी संस्था अथवा विभाग को उनसे सेवा न लेने का पत्र लिखने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जबकि आपके चहेते सेवा प्रदाताओं द्वारा जिस तरह का भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है उसका पंजीयन आपके द्वारा आँख मूंदकर कर दिया जाता है, जिसके कई प्रमाण मेरे पक्षकार के पास मौजूद हैं, जबकि वहीं पर मेरे पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अनावश्यक कमी बताकर दस्तावेजों को वापस कर दिया जाता है, ऐसा करके आप मेरे पक्षकार को सार्वजनिक रूप से जलील करने का प्रयास करते रहते हैं, आपके ऐसे कृत्यों से मेरे पक्षकार को काफी नुकसान हो रहा है, जिसके लिये एक मात्र जिम्मेदार आप हैं। 05. यह कि मेरे पक्षकार से सेवा प्रदाता का सेवा न लेने का जो पत्र दिनांक 17.09.2025 को आपके द्वारा खनिज अधिकारी सिंगरौली को प्रेषित किया गया था, उसका उन्होंने उसी दिनांक को जवाब देकर आपको आगाह किया था कि आपको मेरे विभाग को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह अपने विभाग के दस्तावेजों को पंजीयन कराने के लिये किस सेवा प्रदाता से सेवा लें, अथवा किस सेवा प्रदाता से सेवा न लें, यह विभाग का विशेषाधिकार है कि वह किस सेवा प्रदाता से अपनी सेवाएँ लेते हैं, लेकिन कुछ विभाग एवं संस्था ऐसे हैं जो आपके आधारहीन लिखित निर्देश का पालन कर मेरे पक्षकार से काम लेना बन्द कर दिये हैं, साथ ही आप व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर भी मेरे पक्षकार से सेवा न लेने का मौखिक निर्देश दे रहे हैं, आपके इस अनैतिक एवं अधिकार विहीन कृत्य से मेरे पक्षकार का जो क्षति हो रहा है उसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। 06.यह कि मेरे पक्षकार के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर तमाम संस्था एवं व्यक्तियों से आपके द्वारा सेवा न लेने का लिखित एवं मौखिक रूप से सार्वजनिक निर्देश देने से क्षेत्र में मेरे पक्षकार की किरकिरी हो रही है उसको जानने वाले लोग उसे हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं, तथा मेरे पक्षकार के प्रति आपके द्वारा किये गये कृत्यों की सोशल मीडिया एवं दैनिक अखबार पत्रों में रोजाना कुछ न कुछ प्रकाशित होता चला आ रहा है, ऐसे तथ्यों के प्रकाशन से मेरे पक्षकार की विभाग एवं उसको जाने वालों लोगों के बीच गलत फहमी पैदा होने लगी है तथा वे मेरे पक्षकार को गलत निगाह से देखना शुरू कर दिये हैं, जिससे उसका सार्वजनिक क्षेत्र में उसके ख्याती पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसका परिणाम यह है कि उसे धंधे में एवं ख्याती में काफी हानि हो रही है यह सारा का सारा कृत्य आपके द्वारा एक सुनियोजित साजिस के तहत किया जा रहा है, जिससे मेरे पक्षकार का व्यवसाय चौपट हो जाय तथा लोग